

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप-50

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी.....V.....
2. हरियाली का घनत्व.....0.1.....
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०...657000/-
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....0.9080 हे०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि.....596556/-

  
वन क्षेत्राधिकारी  
टिहरी राखि  
नई दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित  
  
प्रदेशीय वनाधिकारी  
सिविल सोयम वनाधिकारी  
नई दिल्ली

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप-51

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता  
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,  
जल निगम, चम्बा, टि०गढ०।

अधिसासी अभियन्ता  
अधिसासी अभियन्ता  
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,  
जल निगम, चम्बा, टि०गढ०।

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप - 52


प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वनभूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वनभूमि के सीमांकन /सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

लागू नहीं है।

  
Executive Engineer  
Construction Division  
Uttarakhand Engineering Society  
Vikas Evam Nirman Nigam  
Chamba (Tehri Garhwal)

  
वन क्षेत्राधिकारी  
टिहरी राजि  
उ० प्र०

प्रतिहस्ताक्षरित  
  
प्रभारी वनाधिकारी  
प्रभारी वननाधिकारी  
नई टिहरी

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप-५३

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि तीस वर्षों की लीज पर ली जा रही है।

प्रतिहस्ताक्षरित  
प्रदेशीय वनाधिकारी  
टिहरी वन प्रभाग  
नई टिहरी

अतिरिक्त अधिकारी  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास  
एवं निर्माण विभाग, चम्बा